रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-18082026-275547
CG-WB-E-18082026-275547

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4377] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 17, 2026/श्रावण 26, 1948
No. 4377] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 17, 2026/SHRAVAN 26, 1948

रेल मंत्रालय

(पूर्व रेलवे)

अधिसूचना

कोलकाता, 28 जुलाई, 2026

का.आ. 4557(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989, [रेलवे (संशोधित) अधिनियम, 2008 के अनुसार संशोधित] की धारा 20छ की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित जिलों में पश्चिम बंगाल राज्य में लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के संबंध में भूमि अधिग्रहण हेतु स्तंभ (4) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन से प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए ''आर्बिट्रैटर'' के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र. स.	विशेष रेल परियोजना का नाम	जिला	आर्बिट्रैटर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	हावड़ा मंडल में डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर रूट, हावड़ा–बर्द्धमान कॉर्ड लाइन के डानकुनि–खाना अनुभाग में ऊपरी/निचले सड़क पुल का निर्माण करके 40 रेलवे फाटकों का उन्मूलन	हुगली	मंडलीय आयुक्त, बर्द्धमान मंडल
2.		पूर्व बर्द्धमान	

क्र. स.	विशेष रेल परियोजना का नाम	जिला	आर्बिट्रैटर
3.	आसनसोल मंडल में पूर्व रेलवे एवं डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के खाना–प्रधानखंटा रूट पर 42 रेलवे फाटकों का उन्मूलन	पूर्व बर्द्धमान	
4.		पश्चिम बर्द्धमान	

[फा. सं. W(3)420/1/DFC/ VOL-III]

विक्रम गुप्ता, प्रधान मुख्य अभियंता

MINISTRY OF RAILWAYS

(Eastern Railway)

NOTIFICATION

Kolkata, the 28th July, 2026

S.O. 4557(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-Section (6) of Section 20F of the Railways Act, 1989, [as amended vide the Railways (Amendment) Act, 2008] the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (4) of the Table below as "Arbitrator" to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette with respect to land acquisition for the Special Railway Project mentioned in the column (2) relating to the district mentioned in column (3) of the said Table in the State of West Bengal for the public purpose.

TABLE

Sl. No.	Name of the Special Railway Project	District	Arbitrator
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Howrah Division - 40 Nos Elimination of Level Crossing of DFC route by ROB/RUBs on Indian Railway - DKAE-KAN HBC Chord line	Hooghly	Divisional Commissioner, Burdwan Division
2.		Purba Bardhaman	
3.	Asansol Division - 42 Nos Elimination of level crossing in ER+DFC route from Khana – Pradhankanta	Purba Bardhaman	
4.		Paschim Bardhaman	

[F. No. W(3)420/1/DFC/ VOL.III]

VIKRAM GUPTA, Principal Chief Engineer

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA